नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 04/2011 से 03/2013

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक :–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर बुशैहर में तैनात थे :–

प्रधान :–

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री दीपक सूद	01.04.2011 से 31.03.2013

कार्यकारी अधिकारी :–

1	श्री बाबु राम नेगी	01.04.2011 से 31.3.13

(ख) नगर परिषद रामपुर बुशैहर के लेखों अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 तक अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि लाखा में
1	5.1	गलत गणना के कारण ब्याज की कम प्राप्ति	2.13
2	6.3	अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	70.32
3	7.1	विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली न करना	79.36
4	7.2	गृहकर की दर में वृद्धि नियमानुसार न करने के कारण आर्थिक हानि	20.03
5	7.7	भवन नक्शा पारित शुल्क की कम वसूली	0.58
6	8.3	लाईसैन्स फीस की कम वसूली	0.49
7	10.1, 4, 5, 6	संविदाकारों को सम्भावित अनुचित भुगतान	0.30
8	11.2	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में कम राशि हस्तांतरण करना	20.20
9	12	अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष	77.23

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने पर नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "A" पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन पैरों को निपटाने हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

अवधि 04/2011 से 03/2013 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है। दिनांक 10.6.2013 से 14.8.2013 तक श्री रविन्दर सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री राजवीर सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा रामपुर बुशैहर में किया गया। आय की विस्तृत जॉच हेतु माह 11/11, 11/12 तथा व्यय की जॉच हेतु भी माह 11/11, 11/12 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग गलत सूचनाओं एवं सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :—

अवधि 04/2011 से 03/2013 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹44,400/—बनता है। कार्यकारी अधिकारी को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग कसुम्पटी शिमला—9 हिमाचल प्रदेश को भेजने का अनुरोध किया गया जो कि उनके द्वारा पत्र संख्या 1496 दिनांक 21.8.13 को बैंक ड्राफ्ट संख्या 560225 दिनांक 22.8.13 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—9 को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :—

अवधि 4/11 से 3/13 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है। तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "B"** पर बैंक समाधान सहित संलग्न किया गया है जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी अपेक्षित है:—

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	ब्याज	कुल राशि	व्यय	अन्तिम
2011—12	22188790	25159863	505542	47854195	27909002	19945193
2012—13	19945193	29373307	1067148	50385648	41143319	9242329

(i) सावधि जमा में निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹592107/— को रोकड़ वही में लेखाकिंत न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान सावधि जमा में निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹592107/— को रोकड़ वही में लेखाकिंत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा लेखा पद्धति के नियमों के विपरीत है ब्याज का लेखाकंन न करने से संस्था की वित्तीय स्थिति वास्तविक स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है विस्तृत विवरण नीचें दिया गया है। अतः ब्याज की राशि का रोकड़ वही में लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	सावधि जमा योजना में निवेश की तिथि	निवेश की गई राशि	सावधि जमा योजना में पुनः निवेश की तिथि	पुनः निवेश	ब्याज की राशि जो रोकड़ वही में लेखाकिंत नहीं की गई
1	14.1.09	1149377	14.1.13	1601131	451754
2	6.7.11	100000	6.1.13	1140353	140353
				कुल राशि	**592107**

5 निवेशः–

निम्नलिखित राशियाँ सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2013 तक निवेश की गई थी जिन को परिपक्वता तिथि को पुनः निवेश/आहरण करना सुनिश्चित करें :–

क्रम संख्या	सावधि खाता संख्या	बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि
1	928411	हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक रामपुर	14.01.13	1601131	14.1.14
2	301962	कैनरा बैंक	6.1.13	1140353	5.7.13
3	310501	सैन्ट्रल बैंक	23.5.12	1000000	23.5.13
4	4962020	देना बैंक	23.5.12	1000000	24.5.12

5.1 सावधि जमा योजना में निवेश की गई राशि पर देय ब्याज की गलत गणना के कारण ब्याज के रूप में ₹213291/– की कम प्राप्तिः–

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद निधि के सावधि निवेश की पड़ताल पर पाया गया कि सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर ब्याज की गलत गणना के कारण ब्याज के रूप में ₹213291/– की आय कम प्राप्त हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0एम0पी0 08 दिनांक 19.6.13 द्वारा यह मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर से उठाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कार्यकारी अधिकारी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अतः कम ब्याज की प्राप्ति का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर ब्याज की उचित राशि प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ब्याज की कम प्राप्त ₹213292/– का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

निवेश की तिथि	निवेश की राशि	ब्याज दर %	परिपक्वता की तिथि	निवेश पर प्राप्त ब्याज की राशि	अंकेक्षण अनुसार प्राप्त योग्य ब्याज	कम ब्याज की प्राप्ति
30.12.10	6078534	6.25	31.3.11	14269	95758	81489
31.3.11	6092803	6.25	30.7.11	75951	127281	51330
30.7.11	6168754	7.25	27.4.12	255671	336143	80472
			कुल प्राप्त योग्य ब्याज			**213291**

6 अनुदान राशि :—

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुदानो से प्राप्तियां व व्यय का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "C"** पर संलग्न किया गया है। अनुदानों से प्राप्तियों व व्यय के विवरण की पड़ताल के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित है।

6.1 पूर्ववर्ती अवधि के दौरान बची हुई शेष अनुदान राशि बारेः—

दिनांक 31.3.11 को ₹13054843/—की अनुदान राशियां अन्तशेष भी जिनका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "C"** पर दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर यह पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित पड़ी राशियों में से ₹25000/— को छोड़कर अन्य राशियों का उपयोग कर लिया गया है। उपयोग की गई राशियों में से कम संख्या 3, 4, 5, 6, 8, 9 पर वर्णित ₹5780904.00 की अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को प्रेषित नहीं किये गये थे, जिन्हें यथाशीध्र सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाये तथा शेष बची राशि ₹25000/— को सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार समयवध उपयोग सम्बन्धित उद्देश्य हेतु किया गया अन्यथा इस राशि को प्रत्यर्पण किया जाए।

6.2 वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों बारेः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों की आय–व्यय की सूची इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "C"** पर दी गई है। परिशिष्ट के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

6.3 उपयोग की गई अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करनाः–

उपरोक्त परिशिष्ट अनुसार नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों में से उपयोग की राशियों में से ₹7032601/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी नहीं किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अनुदान राशि की क्रम सं0	राशि
2011–12	क्रम संख्या 5 एवं 8	106000
2012–13	क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 6	6926601
	कुल योग	**7032601**

अतः उपरोक्त वर्णित राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को शीध्र प्रेषित किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

6.4 अनुदान राशियों का उपयोग न करनाः–

ारिशिष्ट अनुसार नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011–12 के दोरान क्रम संख्या 1 व 6 पर प्राप्त अनुदान राशि क्रमशः ₹50000/– व ₹73000/– का दिनांक 31.3.13 तक बिल्कुल भी उपयोग नही किया गया था। अतः उपयोग न की गई अनुदान राशि को उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाये।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2012–13 में क्रम संख्या 4 पर वर्णित अनुदान की शेष राशि ₹374785/– को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति कर नियमानुसार उपयोग किया जाये।

6.5 ₹50000/– अनुदान राशि का व्यय न करनाः–

नगर परिषद रामपुर को खण्ड विकास अधिकारी रामपुर से पत्र संख्या 6178 दिनांक 27.8.2009 को वाल्मिकि सभा रामपुर में संराय भवन निर्माण हेतु ₹50000/– की अनुदान राशि प्राप्त हुई परन्तु नगर परिषद द्वारा 3 वर्षों से अधिक समय तक उक्त राशि को व्यय नहीं किया गया तत्पश्चात चैक संख्या 756626 वाऊचर संख्या 961 दिनांक 13.3.2013 को ₹50000 की राशि खण्ड विकास अधिकारी रामपुर को वापिस लौटाई गई। इस प्रकार समय रहते अनुदान की राशि को बिना खर्च किए वापिस लौटाया जाना परिषद की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

7 आयः–

7.1 ₹79.36 लाख की बकाया राशियों की वसूली न करनाः–

उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख अनुसार दिनांक 31.3.13 को विभिन्न निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत ₹7936246/– की वसूली की जानी शेष थी।

क्र0सं0	शीर्ष	31.3.13 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	गृहकर	5899836	परिशिष्ट "D" में वर्णित
2	दुकानों का किराया	1468978	–यथोपरि–
3	पालतू कुत्ताकर	3800	–यथोपरि–
4	तहबाजारी (चारपाई होल्डरस)	48200	–यथोपरि–
5	सिनेमा कर	13360	–यथोपरि–
6	साईन बोर्ड (विज्ञापन)	103231	–यथोपरि–
7	मोबाईल टावर	42500	–यथोपरि–
8	लीज पर दी गई दुकानों का किराया	356341	–यथोपरि–
		7936246	

निदेशक शहरी विकास विभाग (हिमाचल प्रदेश) के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए)–1/87–9237–9284 दिनांक 20.6.01 के अनुसार गृहकर एवं अन्य करों की

100% वसूली करने के निर्देश दिये गये थे तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों के अनुपालना नहीं की जा रही है, अन्यथा दिनांक 31.3.13 को इतनी अधिक राशि वसूली योग्य शेष नहीं रहती। अतः नियमों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अथवा बकाया राशियों की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित पग उठाये जाये ताकि नगर परिषद के विकासात्मक कार्य प्रभावित न हो।

7.2 गृहकर की दर में नियमानुसार वृद्धि न करने के फलस्वरूप ₹2038572/– की आर्थिक हानिः–

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 बैठक संख्या 6 दिनांक 21.2.1997 द्वारा गृहकर दाताओं पर 10% की दर से गृहकर आरोपित किया गया था जबकि निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच0सी0 (10)–7/98–II दिनांक 17.11.03 के अनुसार सभी स्थानीय निकायों को वर्ष 2006–07 से 12.5% की दर से गृहकर आरोपित किया जाना। गृहकर की मॉग एवं वसूली नियमानुसार न करने के कारण परिषद को ₹2038572/– की आर्थिक हानि हुई इस राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है। अतः अवधि 2011–12 व 2012–13 के दौरान गृहकर की मॉग एवं वसूली अपेक्षित दर से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	**10% की दर में आरोपित गृहकर (₹)**	**12.5% की दर से अपेक्षित गृहकर (₹)**	**दरों में वृद्धि न करने से हुई हानि (₹)**
2011–12	3924649	4905811	981162
2012–13	4229638	5287048	1057410
		कुल राशि	**2038572**

7.3 गृहकर कर की नई निर्धारण सूची तैयार न करनाः–

परिषद द्वारा पुराने भवनों की वर्ष 2006–07 के उपरान्त गृहकर की पुनः Assesment नहीं की गई थी, अर्थात नगर परिषद द्वारा पुराने गृहकर दाताओं से वर्ष 2006–07 की Annual Rental Value के आधार पर ही गृहकर अधिरोपित करके तदानुसार गृहकर की वसूली की जा रही है। अतः वर्ष 2006–07 के उपरान्त गृहकर की नई निर्धारण सूची तैयार न करने बारे स्थिति की जाये अथवा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.4 किराये पर दी गई दुकानों के अनुबन्ध पत्रों का नवीकरण न करनाः–

विभिन्न दुकानों को किराये पर देने के उपरान्त अधिकतर दुकानदारों के साथ अनुबन्ध किये गये थे जिनका बाद में नवीकरण नहीं किया गया जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "E"** पर दिया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ एक दुकानदारों के साथ पिछले 30 वर्षों से अनुबन्धों का नवीकरण नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अनुबन्ध पत्रों का नवीकरण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में विभिन्न दुकानदारों के साथ अनुबन्ध का नवीनीकरण नियमानुसार किये जाये ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।

7.5 विभिन्न सरकारी विभागों से स्टालों के किराये ₹110000/– की वसूली न करनाः–

लवी मेले से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित विभागों ने लवी मेले के दौरान प्रदर्शनी लगाने हेतु स्टाल किराए पर दिये गये थे परन्तु इन विभागों से निर्धारित किराये की राशि प्राप्त नहीं की गई जोकि एक अनियमितता है। अतः यह मामला सम्बन्धित विभागों से उठाकर शीध्र किराये की राशि वसूल करके नगर परिषद खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	विभाग का नाम	मेला अवधि	प्लाट नं0	रजिस्टर पृ0सं0	किराये की राशि (₹)

1	वानिकी विभाग रामपुर	2011	13 व 14	97	12000
2	जिला उद्योग केन्द्र शिमला	2009	17 व 18	77	28000
3	विद्युत विभाग रामपुर	2012	8	107	14000
4	वानिकी विभाग रामपुर	2012	13 व 14	109	28000
5	कृषि विभाग रामपुर	2012	15 व 16	109	28000
				कुल राशि	**110000**

7.6 ₹92052/– कार पार्किंग व लोडिंग/अनलोडिंग स्थल किराये की बकाया राशि वसूल न करनाः–

अवधि 1.7.12 से 30.6.13 तक चौधरी बस अडडा के समीप कार पार्किंग व लोडिंग/अनलोडिंग स्थल का ठेका, नीलामी द्वारा श्री देव राज भारद्वाज ठेकेदार को क्रमशः ₹1,11,000 व ₹114500/– में दिया गया था। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नीलामी की शर्तों के अनुसार दिनांक 1.7.12 से दिनांक 30.9.12 प्रथम तिमाही हेतु प्रथम किश्त की राशि ₹27750/– व ₹28625/– को रसीद संख्या 225/22441 दिनांक 30.6.12 द्वारा नगर परिषद निधि में जमा करवाया गया दिनांक 1.10.12 से 31.3.13 तक द्वितीय व तृतीय तिमाही की राशि जमा न करवाने के कारण पत्र संख्या 305–06 दिनांक 19.2.13 द्वारा दिनांक 26.2.13 से उपरोक्त ठेके रद्द कर दिये गये। तदोपरान्त उपरोक्त स्थलों की नीलामी अवधि 1.3.13 से 28.2.14 तक पुनः दिनांक 27.2.13 को की गई। अतः दिनांक 1.10.12 से दिनांक 26.2.13 तक कार पार्किंग व लोडिंग/अनलोडिंग स्थल की बकाया राशि ₹92053 की वसूली नियमानुसार उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

7.7 भवन नक्शा पारित शुल्क ₹58315/– की कम वसूलीः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–ए (3)–1/2006 दिनांक 26.2.2007 के प्रावधान संख्या (ख) के अनुसार भवन नक्शा पास करवाने वाले व्यक्ति से Plot Development Fees @ 5/- प्रति Sqm of Plot Area ली जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण में भवन नक्शा पारित रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि यह राशि सम्बन्धित व्यक्ति से प्राप्त नहीं की गई जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "F" पर दिया गया है। जिस कारण नगर परिषद को ₹58315/– की हानि हुई निर्धारित दर से शुल्क वसूल न करने बारे

औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹58315/– Plot Development Fees राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल करके परिषद खाते में जमा करवाया जाये।

7.8 मोबाईल टावर वार्षिक नवीनीकरण शुल्क नियमानुसार वृद्धि न करने से ₹10000/– की हानिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच0.ए0 (7) –1/2006–10396–10444 दिनांक 25.9.2006 के अनुसार नगर परिषद परिधि में लगे मोबाईल टावर पर प्रत्येक पॉच वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की वृद्धि अपेक्षित थी परन्तु नगर परिषद द्वारा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹5000/– में 25**%** की वृद्धि नहीं की गई जिससे नगर परिषद को निम्नविवरणानुसार ₹10000/– की हानि हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त राशि की प्राप्ति हेतु मामला सम्बन्धित कम्पनी से उठाकर राशि की प्राप्ति करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

कम्पनी का नाम	मोबाईल टावर स्थापना वर्ष	पॉच वर्ष उपरान्त वृद्धि हेतु नियत वर्ष	25% नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि न करने से हुई आर्थिक हानि (अवधि 2011–12 से 2012–13)	विवरण
बी0एस0एन0एल0–1	2006–07	2011–12	2500	वर्ष 2011–12 व 2012–13 हेतु अपेक्षित वृद्धि
बी0एस0एन0एल0–1	2006–07	2011–12	2500	–यथोपरि–
रिलाईन्स	2006–07	2011–12	2500	–यथोपरि–
टाटा इन्डिकाम	2006–07	2011–12	2500	–यथोपरि–
		कुल राशि	**10000**	

7.9 बिजली शुल्क की वसूली न करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0—डी (1)—9/94 दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर 1 पैसा प्रति यूनिट की राशि बिजली विभाग से वसूल की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.4.12 से 31.3.13 की ₹59360/— (बिजली विभाग के पत्रानुसार) बिजली शुल्क की राशि प्राप्त नहीं की गई जिसे अभिलम्ब वसूल कर परिषद खाते में जमा करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त अवधि 1.4.11 से 31.3.12 के दौरान बिजली शुल्क की जो राशि प्राप्त हुई इससे सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि इस अवधि में नगर परिषद क्षेत्र में कितने यूनिट बिजली की खपत हुई को भी बिजली विभाग से प्राप्त नहीं किया गया जिस कारण इस अवधि में प्राप्ति राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे इस प्राप्त कर आवश्यक जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

8 संस्थापनाः—

8.1 बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के New Assured Career Progression Scheme (4-9-14) को लाभ का भुगतानः—

निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच0(बी)(7).—11/87—5—16910—58 दिनांक 31.12.09 के अनुपालना में नगर परिषद कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2006 से संशोधित वेतनमान जारी किया गया था, परन्तु परिषद प्रशासन द्वारा परिषद कर्मचारियों को New Assured Career Progression Scheme (4-9-14) का लाभ निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के अनुमोदन के बिना ही, अपने स्तर पर भुगतान कर दिया गया जबकि नियमानुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही New Assured Career Progression Scheme (4-9-14) को लागू करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अथवा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इसे नियमित किया जाये।

8.2 ₹14624/— वेतन का अधिक भुगतानः—

श्री संजीव कुमार सामुदायिक समन्यवक को निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या यू0डी0एच0 (बी)—15—1/2006—2388—92 दिनांक 6.2.12 के अनुसार दिनांक 18.2.2012 से अपने पद पर नियमित किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या

फिन (पी आर) बी (7) –1/2009 दिनांक 26.8.09 के फिटमेट टेबल 4 नियम 3 (d) एवं 7 के अनुसार कर्मचारी का वेतन 18.2.12 से 5910+1900 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था परन्तु 18.2.2012 से कर्मचारी का वेतन 6400+1900 निर्धारित किया गया परिणामस्वरूप श्री संजीव कुमार को अवधि 18.2.12 से 30.6.2013 तक ₹14624/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹14624/– की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। ₹14624/– के अधिक वेतन भुगतान का विवरण **परिशिष्ट "G"** पर संलग्न किया गया है।

8.3 ₹49692/– लाईसैन्स फीस की कम वसूली:–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जी0ए0डी0–डी0–3 (सी) 14–2/97 दिनांक 21.9.2010 के अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास आंबटित है। उनके लाईसैन्स फीस की राशि में वृद्धि की गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा लाईसैन्स फीस की वसूली अभी तक पुरानी दर से की जा रही है परिणामस्वरूप नगर परिषद को ₹49692/– की कम वसूली की गई विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित दरों से लाईसैन्स फीस वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व ₹49692/– लाईसैन्स शुल्क की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अवधि जिस हेतु कम वसूली की गई	लाईसैन्स फीस की निर्धारित दर प्रतिमाह (₹)	वसूल की गई दर प्रतिमाह (₹)	कम वसूली की राशि प्रतिमाह (₹)	माह की संख्या जिसकी कम वसूली की गई	कुल कम वसूली गई राशि (₹)
1	श्री बाबु राम नेगी	21.9.10 से 31.3.13 व 1.5.13 से 31.5.13	388	194	194	31.3	6072
2	श्री बाला राम	21.9.10 से 31.5.13	228	114	114	32.3	3682
3	श्री मोहन लाल	–यथोपरि–	228	114	114	32.3	3682
4	श्री गुरदास	–यथोपरि–	228	114	114	32.3	3682
5	श्री दलीप सिंह	–यथोपरि–	228	114	114	32.3	3682
6	श्री भीम सेन	1.4.13 से 31.5.13	228	114	114	32.3	228

7	श्री इन्द्र सिंह	21.9.10 से 31.5.13	106	53	53	32.3	1712
8	श्री शेर सिंह	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
9	श्री केवल राम	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
10	श्री मोहर सिंह	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
11	श्री केहर सिंह	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
12	श्री नथी राम	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
13	श्री दर्शान लाल	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
14	श्री राकेश	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
15	श्री अमर सिंह	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
16	श्री पाहल सिंह	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
17	श्री कृति सिंह	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
18	श्री मंगत राम	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
19	श्री वीर सिंह	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
20	श्री मुखवीर	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
21	श्री गुलजार	—यथोपरि—	106	53	53	32.3	1712
22	श्री बालक राम	21.9.10 से 28.2.12	106	53	53	17.3	917
23	श्री गुडडू	1.6.12 से 31.5.13	106	53	53	12	636
24	श्री बार राम	1.6.12 से 31.5.13	106	53	53	12	636
25	श्री संजीव	1.3.12 से 31.5.13	106	53	53	15	795
				कुल वसूल योग्य राशि			**49692**

8.4 अवकाश खाते में अधिक क्रेडिट दिया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान श्री बीर सिंह सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की पड़ताल पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी के अवकाश खाते में 15 दिन का अधिक क्रेडिट दिया गया विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है कर्मचारी के खाते में इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व सम्बन्धित कर्मचारी के अर्जित अवकाश खाते में आवश्यक शुद्धिकरण किया जाए।

नाम व पद	सेवा पंजिका अनुसार शेष	अंकेक्षण अनुसार शेष अर्जित	भिन्नता	विवरण

अर्जित अवकाश

श्री वीर सिंह सफाई कर्मचारी	156 दिन	141 दिन	15 दिन	अवधि 1.1.12 से 30.6.12 के दौरान अर्जित अवकाश खाते में 15 के स्थान पर 30 दिन जोड़े गये

8.5 अवकाश खाता/उपस्थिति रजिस्टर का उचित रखरखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में उपस्थिति रजिस्टर के स्तम्भ में अवकाश की किस्म का विवरण नहीं दर्शाया गया है। उपस्थिति रजिस्टर में केवल अवकाश दर्शाया गया है। उपस्थिति रजिस्टर में दर्शाया गया अवकाश यदि अर्जित अवकाश/परिणित अवकाश है तो नियमानुसार उसकी प्रविष्टियॉ सेवा पंजिका में दर्ज की जानी अपेक्षित है परन्तु निम्नलिखित मामलों में उपस्थिति रजिस्टर में दर्शाये गये अवकाश की प्रविष्टि सेवा पंजिका में दर्ज नहीं की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

कर्मचारी का नाम व पद	**अवधि जिसे उपस्थिति रजिस्टर में अवकाश दर्शाया गया**	**दिनों की संख्या**	**विवरण**
श्री कौल राम मिस्त्री	19.2.12 से 29.2.12	11 दिन	उपस्थिति रजिस्टर में 11 दिन अवकाश दर्शाया गाय परन्तु अवकाश की प्रविष्टि सेवा पंजिका में दर्ज नहीं की गई
श्री कौल राम मिस्त्री	10.4.12 से 13.4.12	4 दिन	–यथोपरि–
श्री राजू बेलदार	2.11.11 से 10.11.11	9 दिन	–यथोपरि–

9 व्ययः–

9.1 लवी मेले से प्राप्त आय की राशि में से ₹50 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाऊचरों की पड़ताल पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान लवी मेले से प्राप्त आय में से ₹50 लाख की राशि का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं सचिव अन्तराष्ट्रीय लवी मेला को किया गया यह अनियमितता है। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	लवी मेले से कुल प्राप्त राशि	उप मण्डलाधिकारी को भुगतान की गई राशि	लवी मेले की आय का भाग
2011–12	6083900	2500000	41%
2012–13	5968540	2500000	41.88%

9.2 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹4880/– का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को निजि प्रयोगशाला में टेस्ट करवाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर से भुगतान किया गया जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹4880/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके परिषद खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

वा0सं0 व दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि	आपेक्षित भुगतान	अधिक भुगतान	टिप्पणी
704/28.11.11	श्री गुडडू राम बेलदार	600	60	540	अल्ट्रासाऊंड करवाने हेतु ₹60 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था
546/2.11.12	श्री बाला राम क्लर्क	600	60	540	–यथोपरि–

546/2.11.12	श्री दलीप सिंह चपड़ासी	4550	750	3800	सीटी स्केन हेतु ₹750/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था
			कुल अधिक भुगतान	**4880**	

9.3 रात्रि भोज पर ₹65805/– का अनियमित व्ययः–

वाऊचर संख्या 705, दिनांक 28.11.2011 ₹65805 का भुगतान श्री मदन शर्मा नोगली रामपुर को दिनांक 14.11.11 को लवी मेले के दौरान रात्रि भोज आयोजन हेतु किया गया। निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0सी0 (5) 21/98 दिनांक 20.6.2007 के अनुसार इस प्रकार के आयोजन हेतु 20000/– से अधिक व्यय करने हेतु निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति ली जानी अपेक्षित थी परन्तु इस मामले में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। यह अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्रापत करके व्यय को नियमित करवाया जाए।

9.4 लवी मेले की सांस्कृतिक संध्या के आयोजन हेतु ₹366800/– का अनियमित व्ययः–

वाउचर संख्या 658 दिनांक 12.11.11 के तहत ₹1356800/–का व्यय लवी मेले की सांस्कृतिक संध्या के आयोजन हेतु भुगतान किया गया।

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 103 दिनांक 9.11.11 के अनुसार नगर परिषद को लधु एवं सूक्षम उद्योग भारत सरकार से 20 लाख की राशि सांस्कृतिक संध्या दिनांक 12.11.11 लवी मेले के आयोजन हेतु प्रापत होनी अपेक्षित थी परन्तु नगर परिषद को लघु एवं सूक्षम उद्योग से केवल ₹990000/– की राशि प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	रोकड़ पृष्ठ	प्राप्त राशि	राशि जिससे प्राप्त हुई
16.11.11	127	490000	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम दिल्ली
12.4.12	9	500000	निदेशक खादी एवम ग्रामोद्योग शिमला
	कुल प्राप्त राशि	**990000**	

अर्थात नगर परिषद द्वारा अपने स्त्तर पर ₹366800/– (1356800–990000) का अधिक/अनियमित व्यय किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹366800/– अधिक व्यय की गई राशि को सम्बन्धित मंत्रालय से प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹366800/– व्यय की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

9.5 ₹10000/– प्रतिभूति राशि वापिस करने बारेः–

वाऊचर संख्या 565 दिनांक 9.11.12 की पड़ताल पर पाया गया कि ₹10000/– की राशि विभिन्न विभागों/यक्तियों को प्रतिभूति के रूप में टाऊन हाल व रैहन बसेरा को किराये पर देने के पश्चात वापिस लौटाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

राशि जिसे वापिस लौटाई गई	प्रतिभूति की वापिस लौटाई गई राशि	टाऊन हाल/रैहन बसेरा बुकिंग की अवधि
कृषि विभाग रामपुर	2500	27.8.12 से 28.8.12
श्री रोहित पटियाल	2500	21.10.12
श्री शिव शर्मा	2500	24.10.12
श्री प्रेम सिंह	2500	19.10.12

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल पर पाया गया कि टाऊन हाल व रैहन बसेरा बुकिंग रजिस्टर में प्रतिभूति राशि की कोई प्रविष्टि नहीं की गई जिससे ₹10000/– प्रतिभूति राशि को लौटाए जाने की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रतिभूति राशि को प्राप्त किए बिना वापिस किया जाने को न्यायोचित ठहराया जाए सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

10 निर्माण कार्यः–

10.1 वाऊचर संख्याः– 1027 दिनांक 29.3.13

कार्य का नामः– C/O Retaining wall Bank at river Satluj Phase-V

ठेकेदार का नामः– श्री राम भवन

माप पुस्तिका संख्याः– 2 पृष्ठ संख्या 42 से 45

अवार्ड पत्र संख्याः– पी0डब्लयू 8–413–17 दिनांक 21.2.12

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 1 (Examination in foundation) की पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार को उपरोक्त मद हेतु प्रोवाईडिंग एण्ड लाईंग सीमेन्ट कंकरीट 1:6:12 की तुलना में 50.40 एम3 ₹200 की दर से ₹10080/– का खुदाई हेतु अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मद सं0	मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार ली गई गणना	अंकेक्षण अनुसार जो गणना ली जानी चाहिए	अधिक ली गई गणना
1	Excavation in foundation for retaining wall	10x4.87x3+1.80/2=116.88m3	10x2.77x3+1.80/2=66.48m3	50.40m3
2	P/L cement concrete 1:6:12 for retaining wall	10x2.77x0.30 =8.31m33	10x2.77x0.30=8.31m3	0.m3

उपरोक्त मद की पड़ताल पर पाया गया कि प्रोवाईडिंग एवं लाईंग सीमेन्ट कंकरीट 1:6:12 हेतु चौड़ाई 2.77 मीटर ली गई जबकि Excavation in foundation हेतु चौड़ाई 4.87 मीटर ली गई जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकार को खुदाई हेतु ₹10080/– का अधिक भुगतान किया गया जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाये।

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 4 (Providing from work with steel plates shutring front) के अनुसार Retaing wall के back side हेतु from work नहीं किया गया था जबकि मद संख्या 6 (Stone filling behind retaing wall) के अनुसार Retaing wall की back side के उसी भाग में Stone filling दर्शाई गई थी जिसकी मात्रा माप पुस्तिका अनुसार 10.05x0.60x1=6.03m3 मापी गई तथा संविदाकार को 800 की दर से ₹4824/– का अनुचित भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक/अनुचित किए गए भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जाए।

उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार को 725 बैग सीमेन्ट जारी किया गया जबकि संविदाकार से 675 बैग सीमेन्ट की वसूली की गई इस प्रकार 50 बैग सीमेन्ट की कम वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा 50 बैग सीमेन्ट की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।

10.2 कार्य आंबगटन से पहले ठेकेदार को सीमेन्ट जारी करने बारेः–

कार्य का नामः– Development of road from gaura road to house of Sh. Subhash in ward No. I Phase-V

ठेकेदार का नामः– श्री सालिग राम

अवार्ड पत्र संख्याः– 1968 दिनांक 5.7.12

एमबी संख्याः– 12 पृष्ठ 33 से 36

एम0बी0 अनुसार उपरोक्त कार्य दिनांक 11.8.12 को शुरू किया गया व दिनांक 8.10.12 को पूर्ण किया गया सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 27 की जांच में यह पाया गया कि उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त 35 सीमेन्ट बैग इन्डेन्ट संख्या 13/1318 दिनांक 25.5.12 के अन्तर्गत दिनांक 5.6.12 को जारी किये गये, अर्थात कार्य आंबटन दिनांक 5.7.12 से पहले ही दिनांक 5.6.12 को सम्बन्धित ठेकेदार को सीमेन्ट जारी कर दिया गया था जोकि तर्कसंगत नहीं है। स्वतः ही आपत्तिजनक है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.3 बिना कार्य की प्रगति के ₹9300/– के भुगतान बारेः–

वाऊचर संख्या 603 दिनांक 26.11.12 द्वारा ₹9300/– का भुगतान दैनिक मजदूरी को मस्ट्रोल के माध्यम से किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जिसे भुगतान किया गया	अवधि जिसे हेतु मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गया	भुगतान की दर	भुगतान की राशि
श्री दिला राम मजदूर	1.10.12 से 31.10.12 31 दिन	150	4650
श्री कैलाश मजदूर	1.10.12 से 31.10.12 31 दिन	150	4650
			9300

उपरोक्त मस्ट्रोल की पड़ताल पर पाया गया कि मस्ट्रोल में मजदूरों से करवाये गये कार्य की प्रगति का विवरण नहीं दर्शाया गया बिना कार्य की प्रगति के उक्त भुगतान उचित

प्रतीत होता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तथा मामले में कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.4 ₹13831/– संविदाकारों से जल प्रभार की कटौती न करनाः–

चयनित महीनों के निर्माण कार्यों के बिलों की जांच में यह पाया गया कि, बिलों में से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई थी। माप पुस्तिका या अन्य अभिलेख में, जल को क्रय कर के निर्माण कार्यो में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जिससे प्रतीत होता है कि विभिन्न ठेकेदारों द्वारा जल हेतु किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया गया व जल का प्रयोग सरकारी स्त्रोत/नल से निशुल्क किया गया। अनुबन्ध की शर्तोनुसार निशुल्क जल प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत पर 1.5**%** की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी। नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने के कारण नगर परिषद निधि को ₹13831/– की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "H"** पर दिया गया है। अतः जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹13831/– की वसूली चूककर्ताओं से की जानी सुनिश्चित की जाये।

10.5 वाउचर संख्याः–606 दिनांक 27.11.12

कार्य का नामः– Construction of Path from N-H 22 to Gaura Road in Ward No. 2 Phase-III

अवार्ड पत्र संख्याः– 2557 दिनांक 18.9.12

संविदाकार का नामः– श्री सुनील नेगी

माप पुस्तिका संख्याः– 9 पृष्ठ 82 से 86

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 4 (R.R. Masonary in cement mortar) की पड़ताल पर पाया गया संविदाकार को उपरोक्त मद के भुगतान में गलत गणना के कारण 0.26m3 @2500 की दर से ₹650 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है। अतः ₹650 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

मद का नाम	आर0डी0	माप पुस्तिका अनुसार ली गई गणना	अंकेक्षण अनुसार ली जाने वाली गणना	अधिक ली गई गणना
R.R. Masonary in cement mortor 1%6	30 से 32.80	3.8x0.45x0.60=1.02m3	2.8x0.45x0.60=0.76m3	0.26m3

10.6 वाउचर संख्याः— 229 दिनांक 6.7.12

कार्य का नामः— Restoration of Path from N.H. 22 to Sh. Rajinder house in ward No. 8 Phase-I

अवार्ड पत्र संख्याः— एम0सी0 / 99 817 दिनांक 19.3.12

संविदाकार का नामः— श्री केवल राम

माप पुस्तिका संख्याः— 10 पृष्ठ 15 से 19

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 1 (Excavation in Hill area by manual means) व 2 (Excavation for structure in all kind of soil) की पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार को उक्त मद हेतु प्रोवाईडिंग एवं लेईगि Bolder in wire creats की तुलना में उपरोक्त मद हेतु ₹1099 /— का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

मद सं0	मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार ली गई गणना	अंकेक्षण अनुसार जो गणना ली जानी चाहिए	अधिक ली गई गणना	भुगतान की दर	अधिक भुगतान
1	Excavation in hill Area	79.50x1.25x0.95/2 =47.20m3	70x1.25x0.95/2=41.56m3	5.64m3	110	619
2	Excavation for structure in all kind of Soil	79050x1.25x0.30= 29.80m3	70x1.25x0.30=26.25m3	3.55m3	135	480
3	P/L Bolder in wire create	70.50x1.25x1.25= 109.38m3	70.50x1.25x1.25=109.38m3	0.00m3	-	-
						1099

उपरोक्त कार्य की पड़ताल पर पाया गया कि मद संख्या 1 व 2 हेतु लम्बाई माप पुस्तिका में 79.50 मीटर ली गई जबकि P/L Bolder in wire createss 70.50 मीटर में लगे है जिससे प्रतीत होता है कि मद संख्या 1 व 2 हेतु उपरोक्त विवरण अनुसार ₹1099/– का अधिक भुगतान किया गया जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.7 वाउचर संख्याः– 608 दिनांक 27.11.12

कार्य का नामः– Dev. Of road from Gaura Road to house of Subhash in ward No. 1 6th Phase

अवार्ड पत्र संख्याः– एम0सी0/99–2109 दिनांक 31.7.2012

संविदाकार का नामः– श्री लालु राम

माप पुस्तिका संख्याः– 12 पृष्ठ 37 से 40

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 3 (R.R Masonary in cement Mortar 1:6 vertical Bond) की पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार को 8 मीटर लम्बे ठगे हेतु 8 vertical Band का भुगतान संविदाकार को 3 Vertical Band लगाये जाने अपेक्षित थे तदानुसार संविदाकार को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः संविदाकार को 5 Vertical Band हेतु किये गये भुगतान की गणना विभागीय स्त्तर पर करके उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 4 Dry stone masnary की पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार को 8 मीटर लम्बे ढंगे हेतु 8 मीटर लम्बी Dry stone masonary का भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार Dry stone masonary में से Vertical Band R.R. Maronary in cement Mortar 1:6 की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अतः बिना कटौती के उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये तथा विभागीय स्त्तर पर गणना करके उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.8 वाउचर संख्याः– 608 दिनांक 27.11.12

कार्य का नामः– Dev. Of road from Gaura Road to house of Subhash in ward No. 1 Phase -V

ठेकेदार का नामः–श्री सालिग राम

अवार्ड पत्र संख्याः– 1968 दिनांक 5.7.12

एम0बी0 संख्याः— 12 पृष्ठ 33 से 36

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 3 (R.R Masonary in cement Mortar 1:6 vertical Bond) की जांच में यह पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार को 5.70 मीटर लम्बे डंगे हेतु 5.70 नं0 vertical Bond का भुगतान किया गया जबकि DNIT के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा तीन नं0 vertical Bond लगाये जाने अपेक्षित थे एवं तदानुसार ही भुगतान किया जाना था। अतः ठेकेदार को अधिक vertical Bond (5.70—3)=2.70 नं0 हेतु किये गये अधिक व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा 2.70 नं0 अधिक vertical Bond हेतु किये गये भुगतान की गणना विभागीय स्त्तर पर करके उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य की मद संख्या 4 Dry stone Masonary की जांच में यह पाया गया कि ठेकेदार को 5.70 मीटर डंगे हेतु 5.70 लम्बी Dry Stone Masonary का भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार 5.70 मी0 लम्बी Dry Stone Masonary में से vertical Bond R.R. Masonary in cement mortor 1:6 की लम्बाई की कटौती की अपेक्षित थी। अतः बिना कटौती के उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा विभागीय स्त्तर पर अधिक भुगतान की गणना करके, उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.9 वाउचर संख्याः— 612 दिनांक 27.11.12

कार्य का नामः— Repair & Mantance of Municipal Guest house in ward No. 6 Phase-II

संविदाकार का नामः— श्री हीरावन

अवार्ड पत्र संख्याः— 2560 दिनांक 18.9.12

माप पुस्तिका व पृष्ठ संख्याः— 10 पृष्ठ 86 से 90

उपरोक्त कार्य की मद संख्या 2 (Dismentling Door window & ventilator) की पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार को उक्त कार्य हेतु ₹80/— की दर से (2) दरवाजे (1) खिड़की (1) वेन्टीलेटर को Dismentalr करने हेतु ₹320 का भुगतान किया गया परन्तु इन Seruiceable material को स्टॉक में नहीं लिया गया जिस कारण उपरोक्त सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः दरवाजे 2 नं0 खिड़की 1 नं0 वेन्टीलेटर 1 नं0 स्टॉक में

न लिए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा मामले में नियमानुसार आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही अब की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 पैन्शन एवं उपदानः–

नगर परिषद रामपुर बुशैहर के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	ब्याज	कुल राशि	व्यय	अन्तशेष
2011–12	2130982	1274365	59872	3465219	1378667	2086552
2012–13	2086552	1216464	165375	3468391	1486680	1981711
	बचत खाता संख्या 43110107220 के अनुसार शेष					336198
	सावधि निवेश संख्या 133866031007 देना बैंक अनुसार शेष					1099512
	सावधि निवेश संख्या 162614000265 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक अनुसार शेष					546001
	कुल राशि					**1981711**

11.2 ₹2020009/– पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में कम हस्तांतरण करनाः–

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल इम्पलाईज (पैन्शन ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 रूलज 2000 के नियम (3) के अनुसार municipalty Shall make monthly Contribution towards Pension & Gratuity Fund @ 12% and 5% respectively on the maximum of the time Pay Scalce of employees of Municipalty.

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.1.06 से 31.8.2009 तक संशोधित वेतनमान लागू होने के कारण उक्त अवधि का पैन्शन एवं ग्रेच्युटी का अंशदान संशोधित वेतनमान के अनुसार पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया अर्थात पैन्शन निधि को ₹2020009/– कम हस्तांतरित किये गये। विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "I"** पर संलग्न किया गया है। नियमानुसार अवधि 1.09.2009 से संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान के साथ–2 पैन्शन एव ग्रेच्युटी निधि के संशोधित अंशदान को भी संशोधित वेतमान

के अनुसार पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹2020009/– पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की राशि को पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में हस्तांतरित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.3 गलत गणना के कारण ₹5349/– ब्याज के रूप में कम प्राप्तिः–

पैन्शन निधि सावधि निवेश की पड़ताल पर पाया गया कि बैंकों में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर देय ब्याज की गलत गणना से ब्याज की राशि ₹5349/– कम प्राप्त की गई विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः यह मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर ब्याज की उचित राशि प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निवेश की तिथि	निवेश की राशि	ब्याज दर	परिपक्वता की तिथि	निवेश पर प्राप्त ब्याज की राशि	अंकेक्षण अनुसार प्राप्त योग्य ब्याज	कम प्राप्त ब्याज की राशि
19.12.11	500000	9.25%	12.1.2013	46001	51350	5349

12 अग्रिमः–

विभिन्न विभागों को अग्रिम के रूप में दी गई ₹7723996/– की राशि का समायोजन न करनाः–

नगर परिषद रामपुर के अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियों की अदायगी विभिन्न विभागों को अग्रिम के रूप में की गई थी जिसका समायोजन अंकेक्षण अवधि तक नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अधिकतर राशियां लम्बी अवधि से समायोजन हेतु लम्बित है। अतः अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित किये जाए।

क्र0सं0		दिनांक	अग्रिम राशि (₹)	जिस अग्रिम भुगतान किया गया	अग्रिम का उद्देश्य
1	104 (बी)	12.6.95	774626	उपमण्डल अधिकारी विद्युत	स्ट्रीट लाईट

				रामपुर	हेतु
2	198	3.8.99	449400	अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण रामपुर	तारकोल बिछाने हेतु
3	633	6.11.09	23920	हि0प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रीज रामपुर	टायर खरीदने हेतु
4	1070	23.3.10	200000	अधिशाषी अभियन्ता आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–9	पार्किंग निर्माण हेतु
5	799	18.1.11	4000000	–यथोपरि–	–यथोपरि–
6	466	23.9.10	103600	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल रामपुर	स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु
7	208	28.7.08	354915	–यथोपरि–	–यथोपरि–
8	562	9.11.12	17535	हि0प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रीज रामपुर	टायर खरीद हेतु
		कुल राशि	**7723996**		

13.1 संविदाकारों से 52 सीमेन्ट बैग की कम वसूली:–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल पर लेखा परीक्षा में पाया गया कि संविदाकारों को विभिन्न निर्माण कार्य हेतु सीमेन्ट जारी किया गया परन्तु संविदाकारों के निर्माण कार्य के बिल बनाते समय सीमेन्ट की पूरी वसूली नहीं की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकारों को सीमेन्ट की पूरी वसूली न करने से अनुचित लाभ दिया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 52 सीमेन्ट बैग की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

सीमेन्ट बैग कम वसूली का विवरण निम्न प्रकार से है:–

सीमेन्ट जारी की तिथि	संविदाकार का नाम	इन्डेन्ट सं0	जारी किए गए सीमेन्ट	वसूल की गई मात्रा	कम वसूली गई मात्रा	माप पुस्तिका व पृ0 सं0 वसूली

			की मात्रा			**जिसके द्वारा वसूली गई मात्रा की गई**
2.6.12	श्री विवेक	13/1319	28 बैग	25 बैग	3 बैग	10/35
12.3.13	श्री लालु राम	14/1360	18 बैग	16 बैग	2 बैग	1/49
25.6.12	श्री सालिग राम	13/1295	80 बैग	45 बैग	30 बैग	2/38
30.8.11	श्री लालु राम	12/1112	25 बैग	18 बैग	07 बैग	8/4 व 3/78
16.4.12 व 15.6.12	श्री लालु राम	13/1296 व 13/1317	52 बैग	42 बैग	10 बैग	12/40
		कम वसूल की गई मात्रा			**52 बैग**	

13.2 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अनुसार नगर परिषद की चल एवं अचल सम्पत्ति की सत्यापना 3 वर्षों में एक बार मैम्बर कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रामपुर द्वारा स्टॉक व स्टोर वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था तथा न चल व अचल सम्पति रजिस्टर का रख—रखाव किया गया था जोकि आपत्तिजनक है। अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है नियमानुसार स्टॉक व स्टोर वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर का उचित तरीके से रख रखाव सुनिश्चित करें और प्रत्यक्ष सत्यापन की वार्षिक रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए।

14 अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने के अभाव में इनसे सम्बन्धित लेखा प्रविष्टियों/आय एवं व्यय की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः सुझाव दिया जाता है कि निम्नलिखित आवश्यक अभिलेख का नियमानुसार अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) संविदाकार खाता वही

(ii) अग्रिम रजिस्टर

(iii) प्रतिभूति रजिस्टर

(iv) वेतन रजिस्टर/ई0सी0आर0

(v) जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 रोकड़ वही

(vi) टेलीफोन रजिस्टर

15 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई। लधु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर किया गया।

16 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)51/86–खण्ड–IV-8406-08 दिनांक 21.12.2013, शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत : 1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेंजें।

2. निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला–171003.

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट–"A"

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/67 से 03/68

1	पैरा 2(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 2(बी)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/68 से 03/69

1	पैरा 3(डी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/70 से 03/75

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ए)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ए)(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ए)(11)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ए)(12)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(1) मद–1	अनिर्णीत
8	पैरा 8(2) मद–2	अनिर्णीत
9	पैरा 11(1) ए से च	अनिर्णीत
10	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(5)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(8)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(5)	अनिर्णीत

21	पैरा 12(6)	अनिर्णीत
22	पैरा 12(7)	अनिर्णीत
23	पैरा 12(8)	अनिर्णीत
24	पैरा 12(9)	अनिर्णीत
25	पैरा 12(11)	अनिर्णीत
26	पैरा 12(12)	अनिर्णीत
27	पैरा 12(13)	अनिर्णीत
28	पैरा 12(14)	अनिर्णीत
29	पैरा 12(15)	अनिर्णीत
30	पैरा 12(16)	अनिर्णीत
31	पैरा 12(17)	अनिर्णीत
32	पैरा 12(18)	अनिर्णीत
33	पैरा 12(19)	अनिर्णीत
34	पैरा 12(20)	अनिर्णीत
35	पैरा 12(21)	अनिर्णीत
36	पैरा 12(22)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(23)(बी)(2)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(23)(बी)(5)	अनिर्णीत
39	पैरा 12(23)(बी)(6)	अनिर्णीत
40	पैरा 12(23)(बी)	अनिर्णीत
41	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
42	पैरा 14(16)	अनिर्णीत
43	पैरा 14(27)	अनिर्णीत
44	पैरा 14(30)	अनिर्णीत
45	पैरा 14(44)	अनिर्णीत
46	पैरा 14(45)	अनिर्णीत
47	पैरा 14(50)	अनिर्णीत
48	पैरा 14(51)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/75 से 03/80

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3(ए)(1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(ए)(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 27	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/83 से 03/87

1	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत	
2	पैरा 15(6)	अनिर्णीत	
3	पैरा 24	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/89

1	पैरा 16	अनिर्णीत	
2	पैरा 21	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/91

1	पैरा 11(3)	अनिर्णीत	
2	पैरा 11(3)(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 11(6)(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 11(7)(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 11(7)(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 13	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 17(क)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
9	पैरा 17(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
10	पैरा 18	अनिर्णीत	

11	पैरा 19(क)	अनिर्णीत	
12	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा 19(घ)	अनिर्णीत	
15	पैरा 19(2)	अनिर्णीत	
16	पैरा 19(2)(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 19(2)(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 19(2)(ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा 21(3)(ख)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
20	पैरा 21(9)(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 21(9)(ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 22(1)	अनिर्णीत	
23	पैरा 23(5)	अनिर्णीत	
24	पैरा 23(7)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/94

1	पैरा 8(11)	अनिर्णीत	
2	पैरा 10(2)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
3	पैरा 10(4)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10(5)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
5	पैरा 10(6)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10(7)(1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10(7)(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10(15)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)

9	पैरा 11(1)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
10	पैरा 12(1)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
11	पैरा 12(2)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
12	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	
14	पैरा 13(3)	अनिर्णीत	
15	पैरा 13(4)	अनिर्णीत	
16	पैरा 13(5)(1)	अनिर्णीत	
17	पैरा 13(5)(2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 13(6)(1)	अनिर्णीत	
19	पैरा 13(6)(2)	अनिर्णीत	
20	पैरा 13(6)(3)	अनिर्णीत	
21	पैरा 14(1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 14(2)	अनिर्णीत	
23	पैरा 15(2)	अनिर्णीत	
24	पैरा 15(3)	अनिर्णीत	

(9) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला दिनांक 27.11.93 की निरीक्षण टिप्पणी

1	पैरा 2(ज)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(3)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/94 से 03/04

1	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

3	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10(2)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा 10(6)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
8	पैरा 10(6)(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(1)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11(2)	अनिर्णीत	
11	पैरा 11(3)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11(4)	अनिर्णीत	
13	पैरा 11(5)	अनिर्णीत	
14	पैरा 11(6)	अनिर्णीत	
15	पैरा 11(7)	अनिर्णीत	
16	पैरा 11(8)	अनिर्णीत	
17	पैरा 11(9)	अनिर्णीत	
18	पैरा 14	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
19	पैरा 15(1)	अनिर्णीत	
20	पैरा 15(5)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
21	पैरा 15(6)	अनिर्णीत	
22	पैरा 15(7)	अनिर्णीत	
23	पैरा 15(8)	अनिर्णीत	
24	पैरा 15(9)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
25	पैरा 15(11)	अनिर्णीत	
26	पैरा 15(13)	अनिर्णीत	

27	पैरा 15(14)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(15)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(16)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(30)	अनिर्णीत
31	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
32	पैरा 16(2)	अनिर्णीत
33	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
34	पैरा 16(4)	अनिर्णीत
35	पैरा 16(5)	अनिर्णीत
36	पैरा 16(7)	अनिर्णीत
37	पैरा 16(9)	अनिर्णीत
38	पैरा 16(12)	अनिर्णीत
39	पैरा 16(13)	अनिर्णीत
40	पैरा 16(14)	अनिर्णीत
41	पैरा 16(15)	अनिर्णीत
42	पैरा 16(17)	अनिर्णीत
43	पैरा 16(18)	अनिर्णीत
44	पैरा 16(25)	अनिर्णीत
45	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
46	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
47	पैरा 18(7)	अनिर्णीत
48	पैरा 18(11)	अनिर्णीत
49	पैरा 19(1)	अनिर्णीत
50	पैरा 19(2)	अनिर्णीत
51	पैरा 19(3)	अनिर्णीत
52	पैरा 19(4)	अनिर्णीत
53	पैरा 19(5)	अनिर्णीत
54	पैरा 19(6)	अनिर्णीत
55	पैरा 19(7)	अनिर्णीत

56	पैरा 19(12)	अनिर्णीत	
57	पैरा 19(17)	अनिर्णीत	

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007

1	पैरा 2(ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा 4(vii)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
3	पैरा 6(iii)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
4	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011

1	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
2	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
3	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
6	पैरा 9	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3. 8.13 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा 10	अनिर्णीत	
8	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
9	पैरा 12	निर्णीत	(₹1371 की प्रविष्टि वर्ष 2013–14 के गृह कर मांग रजिस्टर पृ0 54 एवं 82 में की गई है)
10	पैरा 13	निर्णीत	(₹817 की प्रविष्टि वर्ष 2013–14 के गृह कर मांग

			रजिस्टर पृ0 2,48,50,51,36 में की गई है)
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 17	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
15	पैरा 18	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
16	पैरा 19.1	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
17	पैरा 19.2	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
18	पैरा 20	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
19	पैरा 21	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
20	पैरा 22	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
21	पैरा 23	निर्णीत	(प्लाटों का साईज नक्शों से सत्यापित किया गया)
22	पैरा 24	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
23	पैरा 25	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
24	पैरा 26	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3.8.13 द्वारा निर्णीत)
25	पैरा 27	अनिर्णीत	
26	पैरा 28	अनिर्णीत	
27	पैरा 29	अनिर्णीत	

28	पैरा 30	अनिर्णीत	
29	पैरा 31	अनिर्णीत	
30	पैरा 32 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3. 8.13 द्वारा निर्णीत)
31	पैरा 32 (2)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3. 8.13 द्वारा निर्णीत)
32	पैरा 33	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3. 8.13 द्वारा निर्णीत)
33	पैरा 34	अनिर्णीत	
34	पैरा 35	अनिर्णीत	
35	पैरा 36	अनिर्णीत	
36	पैरा 37 (i)	अनिर्णीत	
37	पैरा 37 (ii)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3. 8.13 द्वारा निर्णीत)
38	पैरा 38	अनिर्णीत	
39	पैरा 39 (1)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3. 8.13 द्वारा निर्णीत)
40	पैरा 39 (2)	अनिर्णीत	
41	पैरा 40 (i)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित है)
42	पैरा 40 (ii)	निर्णीत	(उप निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3. 8.13 द्वारा निर्णीत)
43	पैरा 40 (iii)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित है)